

अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)राज्य कर  
संयुक्त आयुक्त (कार्पोरेट सर्किल)/संयुक्त आयुक्त (कार्य०)  
संयुक्त आयुक्त (वि०अनु०शा०)राज्य कर  
उत्तर प्रदेश ।

आयुक्त, राज्य कर उ०प्र० के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य कर विभाग, उ०प्र० के विरुद्ध संस्थित वादों में मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय द्वारा विभाग से अपेक्षा की जाती है कि प्रतिशपथ पत्र के आलेख लिखाने हेतु भिन्न अधिकारी को समस्त अभिलेखों सहित नामित कर भेजें ताकि विभाग का पक्ष उचित रूप से मा० न्यायालय के समक्ष रखा जा सके। कई प्रकरणों में विभागीय स्तर से अधिकारी नामित न होने के कारण मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय में शपथपत्रों/प्रतिशपथ पत्रों को तैयार/दाखिल कराने हेतु प्रकरणों से भिन्न अधिकारियों को अपने स्तर से नामित करने का कष्ट करें कि वह प्रतिशपथ पत्र के आलेख लिखाने हेतु समस्त अभिलेखों सहित मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें ताकि वादों की सक्षम पैरवी की जा सके और माननीय न्यायालय में किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। माननीय न्यायालय में किसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(गीता सिंह)

अपर आयुक्त (विधि), राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन दिनांक उक्त  
प्रतिलिपि-

1. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित की अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये पूर्ण परिपालन सुनिश्चित करें।
2. अपर आयुक्त ग्रेड-1(उच्च न्या० कार्य)राज्य कर प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०अनुभाग)राज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारियों को सूचित करने हेतु उक्त को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

31/05/23

21/06/23  
700

अपर आयुक्त (विधि), राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।